

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/ 801 / भू0अ0 / स0अ0भू0अ0 / 2015  
प्रति,

कोरबा, दिनांक 29/04/2015

सचिव  
छ0ग0 शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन  
नया रायपुर

**विषय :-** कोरबा जिले के कटघोरा वनमण्डल अंतर्गत एसईसीएल की गेवरा खुली खदान रकबा 126.341 हेक्टर राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन बाबत संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।

**संदर्भ :-** महाप्रबंधक एसईसीएल गेवरा का पत्र क्रमांक एस.ई.सी.एल./मप्र/गे.क्षे./पर्यावरण/2015/09 दिनांक 15.04.2015 एवं पत्र क्रमांक 52, दिनांक 23.04.2015

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 401/भू.अ./स.अ.भू.अ./13 कोरबा, दिनांक 07.03.2013 को जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र (ग्राम रलिया में 54.873 हेक्टर, ग्राम नरईबोध में 71.468 हेक्टर कुल रकबा 126.341 हेक्टर) को संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत मुख्य महाप्रबंधक द्वारा निवेदन किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

क्र0	ग्राम का नाम	आवेदित खसरा नं0	कुल रकबा हेक्टर में	आवेदित रकबा हेक्टर में	( राजस्व वन भूमि का मद )
1	2	3	4	5	6
1	रलिया	6/1	1.757	1.756	बड़ेझाड़ का जंगल
		16/1	18.402	7.000	बड़ेझाड़ का जंगल
		32/1	7.381	4.425	बड़ेझाड़ का जंगल
		38/1	80.047	35.000	बड़ेझाड़ का जंगल
		38/3	0.397	0.397	बड़ेझाड़ का जंगल
		38/4	0.405	0.405	बड़ेझाड़ का जंगल
		38/5	0.405	0.405	बड़ेझाड़ का जंगल
		38/6	0.178	0.178	बड़ेझाड़ का जंगल
	योग			49.566	
2	नरईबोध	1/1	0.628	0.628	बड़े झाड़ के जंगल
		8/1 ढ	16.140	16.140	बड़ेझाड़ का जंगल
		8/1 झ	0.405	0.405	बड़ेझाड़ का जंगल
		8/1 त	0.283	0.283	बड़ेझाड़ का जंगल
		8/1 ठ	0.018	0.073	बड़ेझाड़ का जंगल
		8/1 ड	0.073	0.073	—'
		8/1 ढ	0.287	0.287	—'
		8/1 म	0.372	0.372	—'
		13/1	11.018	4.209	—'
		13/1 प		6.809	जंगल
		13/6	0.121	0.121	जंगल
		15/1	5.917	5.917	जंगल
		44/1, 2	5.354	4.969+ 0-182	बड़ेझाड़ का जंगल
		417/1	18.773	18.773	बड़ेझाड़ का जंगल
		417/2	0.648	0.648	बड़ेझाड़ का जंगल
		419/1	2.744	2.744	बड़ेझाड़ का जंगल
		259	0.186	0.186	—''
	योग			62.819	
	महायोग			112.385	

//2//


29/4/15

//2//

उपरोक्त राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए वनमण्डलाधिकारी कटघोरा एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कटघोरा के प्रतिवेदन अनुसार मुख्य महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. गोवरा को गोवरा विस्तार परियोजना हेतु उपरोक्त खसरा नम्बर पर कुल रकबा 112.385 हेक्टेयर (ग्राम रलिया में 49.566 हेक्टेयर तथा ग्राम नरईबोध में 62.819 हेक्टेयर) राजस्व वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा दी जाती है तो निम्न शर्तों के तहत इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी :-


1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र उपरोक्त उल्लेखित राजस्व वन भूमि पर गोवरा विस्तार परियोजना हेतु दी जा रही है इसके अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा ।
2. गोवरा विस्तार परियोजना पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने पर संबंधित विभाग से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा ।
3. गोवरा विस्तार परियोजना में किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आवेदक संस्थान की होगी ।
4. इस अनुमति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है ।
5. आवेदित भूमि पर सीमांकन उपरांत शासन द्वारा संचालित भवन पाए जाने पर मूल्यांकन कर देयक छ. ग. शासन राजस्व विभाग को होगा ।
6. सीमांकन उपरांत आवेदित भूमि पर वन अधिकार पत्र वितरण होना पाया जाता है । उक्त स्थिति में छ0ग0 शासन की पुर्नवास नीति 2007 का उचित पालन एवं वन अधिकार पत्र धारियों के उचित व्यवस्थापन किये जाने की शर्त पर अनापत्ति दिया जाता है ।

(टीप :- शेष आवेदित भूमि राजस्व वन भूमि नहीं होने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।)

  
( रीना बाबासाहेब कंगाले )  
कलेक्टर  
कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ0 क्रमांक / 802 / भु0अ0 / स0अ0भू0अ0 / 2015 कोरबा दिनांक 29/04/2015  
प्रतिलिपि:-

- 1- वनमण्डलाधिकारी कटघोरा जिला कोरबा को सूचनार्थ ।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कटघोरा जिला कोरबा को सूचनार्थ ।
- 3- मुख्य महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. गोवरा क्षेत्र गोवरा को सूचनार्थ ।

  
( रीना बाबासाहेब कंगाले )  
कलेक्टर  
कोरबा (छत्तीसगढ़)

कार्यालय कलेक्टर कोरबा (छत्तीसगढ़)

// संशोधित प्रमाण-पत्र //

क्रमांक / 803 / भू.अ. / स.अ.भू.अ. / 2014

कोरबा दिनांक 29/04/2015

मेसर्स मुख्य महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल.गेवरा विस्तार परियोजना कार्य हेतु कोरबा जिला में कटघोरा वनमंडल के नरईबोध गाँव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 62.819 हे.वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

01. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र वन भूमि 0 हे.एवं/राजस्व वन भूमि 62.819 हे.जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम नरईबोध तहसील कटघोरा में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।
02. ग्राम नरईबोध नगर पालिक निगम क्षेत्र (वार्ड क्रमांक 57) होने के कारण ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया गया है।
03. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुसार विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006" की धारा(3)(e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
04. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 08.07.2011 के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा (3)(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।



*[Signature]*  
29/4/15  
(श्रीना बाबासाहेब कंगाले)

कलेक्टर  
एवं अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति  
जिला-कोरबा(छत्तीसगढ़)

# कायालय कलेक्टर, जिला-कोरबा (छ.ग.)

क./2656/भू.अ./स.अ.भू.अ./2014

कोरबा, दिनांक 4.12.14

प्रदर्श-''स''

## प्रमाण पत्र

मेसर्स मुख्य महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. गोवरा का विस्तार परियोजना कार्य हेतु कोरबा जिला में कटघोरा वनमंडल के रलिया गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 49.566 हे. राजस्व वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 0 हे. एवं/राजस्व वन भूमि 49.566 हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम रलिया तहसील कटघोरा में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 09.10.2014 (प्रदर्श-''अ'') एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श-''ब'') पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव दिनांक 09.10.2014 ग्राम के सरपंच श्रीमती फुल बाई की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 09.10.2014 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	2	3	4
1	रलिया	बीरसिंह	0.020
2		विजयपाल सिंह	0.081
3		कृष्णा कुमार	0.081
4		जितेन्द्र कुमार	0.012
5		राजेन्द्र कुमार	0.012
6		गोपाल सिंह	0.008
7		छत्रपाल सिंह	0.008
8		प्रदीप कुमार	0.132
9		परदेशीराम	0.081
10		रामायण सिंह	0.202
11		हराबाई	0.202
12		रूपरतन सिंह	0.020
13		चंदन सिंह	0.375
14		जोहितराम	0.202
15		रणजीत सिंह	0.202
16		चमरीन बाई	0.016
17		केवरा बाई	0.020
18		तीज बाई	0.061
19		मुंशीराम	0.016
20		दल्लूराम	0.008
21		राजकुमार	0.020
22		सूर्यभवन सिंह	0.028

1	2	3	4	
23	रलिया	सुकुल	0.040	
24		कृपासिंह	0.040	
25		जयराम सिंह	0.048	
26		अरुण कुमार	0.116	
27		सुरसेन	0.040	
28		शिवनंदन सिंह	0.012	
29		संतराम	0.020	
30		सुख सिंह	0.012	
31		सुकलाल	0.012	
32		बजरंग	0.016	
33		रामरतन सिंह	0.028	
34		भारत भूषण	0.020	
35		चन्द्रशेखर	0.020	
36		टिकैतराम	0.040	
37		साहीन बाई	0.008	
38		धनकुंवर	0.020	
39		इतवार सिंह	0.040	
40		हरिया प्रसाद	0.028	
41		मिलकराम	0.016	
		योग :-		2.383

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 09.10.2014 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा (3)(e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 09.10.2014 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



दिनांक : .....

(रीना बाबा साहेब कंगाले)  
कलेक्टर  
जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

एवं अध्यक्ष-जिला वन अधिकारी समिति  
जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ.क./ 2657/भू.अ./स.अ.भू.अ./2014  
प्रतिलिपि:-

कोरबा, दिनांक 4.12.2014

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा को सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

70c

(रीना बाबा साहेब कंगाले)  
कलेक्टर  
जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)  
एवं अध्यक्ष-जिला वन अधिकारी समिति  
जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)

फोन/फैक्स नं. 07815-250157, Email : dfokatghora@gmail.com

क्रमांक/तक.अधि./2011/

6623

कटघोरा, दिनांक 20-10-11

प्रति,

✓ अतिरिक्त तहसीलदार

दीपका, जिला कोरबा (छ.ग.)


विषय : वन भूमि व्यपवर्तन के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ : आपका पत्र क्र./क/अति.तह./2011/दीपका दि. 25.01.11

— ::000:: —

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में स्थल निरीक्षण परिक्षेत्र अधिकारी कटघोरा एवं उप वनमण्डलाधिकारी पाली द्वारा कराया गया, उनके प्रतिवेदनानुसार ग्राम रलिया की 54.873 हे. एवं ग्राम नरईबोध की 71.468 हे. भूमि पर वृक्षों का घनत्व शून्य से शून्य अर्थात् भूमि वृक्ष विहीन है।

उक्त आवेदित राजस्व वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर यानिकी प्रयोजन हेतु भूमि प्रत्यावर्तन किया जाता है तो वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

  
वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा

अतिरिक्त तहसीलदार  
महोदय, सिवा

विषय:- वन शक्ति व्यवहारे के संकथामें अनापति प्रकरण पत्र  
प्रदान करने के संकथामें।

महोदय:- उपरोक्त विषयांकित आवेदन पत्र द्वारा एच.ई.सी.एल.  
ओवरा विस्तार परियोजना हेतु ग्राम रलीया की भूमी 54, 873  
हेक्टर और वानगी उपयोग हेतु अनापति प्रकरण पत्र को  
के संकथामें ग्राम रलीया की भूमी की सिमांकन दिनांक 8/7/2011  
को वन विभाग के रेंज अधिकारी श्री अमरी कुमार पाण्डेय एच.ई.सी.एल.  
के तहसीलदार, एस. डिप्लम (वन संरक्षण एवं पर्यावरण)  
ओवरा क्षेत्र तथा रीजल्वर विभाग के हल्क पर्यारि श्री  
मनोमय कुमार साहू प.ए.उ-30 की संयुक्त रिपोर्ट द्वारा  
सिमांकन कर चिह्नित किया गया।



अतः उचित धार्जवादी हेतु पालन  
प्रतिवेदन संश्लेषित है।

*(Signature)*  
वरिष्ठ प्रबंधक / नोडल अधिकारी  
Sr. Manager / Nodal Officer  
पर्यावरण एवं वन / Env. / Forest  
एसईसीएल मेवरा क्षेत्र / SECL Gevra Area

*(Signature)*  
न्या. परिक्षेत्र अधिकारी,  
सीकड,  
कटघोरा वन परिक्षेत्र

*(Signature)* 8/7/2011  
मनोमय कुमार साहू  
टवारी 30

कोई भी अनापति प्रकरण चिका  
करती प्रामां

2/9/11  
प. अ. कटघोरा

## कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा (छ०ग०)

पत्र क्रमांक /2661 /2014

कोरबा, दिनांक : /12/2014

// प्रमाण पत्र //

प्रति,

कलेक्टर  
कोरबा

विषय :- अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन-निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक /266L /भू-अभि० /स०अ०भू०अ० /2014 कोरबा दिनांक

—00—

मेसर्स मुख्य महाप्रबंधक, एसईसीएल गेवरा का विस्तार परियोजना कार्य हेतु कोरबा जिले में कटघोरा

अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन

- 1- प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम नरईबोध वार्ड क्र. 57 नगर पालिक निगम कोरबा के अंतर्गत आता है ।
- 2- उपरोक्त भूमि पर वर्तमान में नगर निगम की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है अतः महाप्रबंधक एसईसीएल गेवरा क्षेत्र को ग्राम नरईबोध वार्ड क्र. 57 में खुली खदान विस्तार परियोजना हेतु 62.351 हे० राजस्व वन भूमि पर व्यपवर्तन हेतु नगर पालिक निगम कोरबा को कोई आपत्ति नहीं है ।

आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
कोरबा (छ०ग०)